संख्या : 72/2019/1501/छप्पन-2019-47/2015

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 22 अगस्त, 2019

विषय: नागरिक उड्डयन निदेशालय के राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0पी0 (जेट वायुयान) के आर0वी0एस0एम0 टेस्ट कराये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-150/ना0उ0नि0/ 2019, दिनांक 23 जुलाई, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके संदर्भगत पत्र में अवगत कराया गया है कि राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्सपी, वी0टी0-यू0पी0एम0 के आर0वी0एस0एम0 उड़ान क्षेत्र में नियमित उड़ान सम्पादित करने के लिए प्रत्येक 02 वर्ष में एक बार वायुयान की आर0वी0एस0एम0 टेस्ट उड़ान अधिकृत कम्पनी के इंजीनियर से सम्पादित कराना आवश्यक है। आर0वी0एस0एम0 टेस्ट उड़ान हेतु एशिया रीजन के अधिकृत कम्पनी मे0 एयरोनाटिकल रेडियों आफ थाईलैण्ड लिमिटेड (एयरोथाई) (मेसर्स मार) से प्राप्त ई-मेल दिनांक 24 जून, 2019 के अनुसार आर0वी0एस0एम0टेस्ट उड़ान दिनांक 06.11.2019 को लखनऊ बेस में सम्पादित कराए जाने हेतु कुल यू0एस0 डॉलर2600.00 जो भारतीय मुद्रा में रू0 73/- प्रति यू0एस0डालर की विनियम दर से रू0 1,89,800/- का व्यय निहित है, जिसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से वायर ट्रांसफर किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त अधिकृत फर्म के इंजीनियर के थाईलैण्ड से लखनऊ आने तथा वापस जाने हेतु बिजनेस क्लास के वायुयान किराया, होटल एकोमोडेशन, लोकल ट्रांसपोर्ट तथा खान-पान में निहित व्यय का भुगतान भी किया जाना है।

अत: राज्यपाल महोदय राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0पी0 (जेट वायुयान) के आर0वी0एस0एम0टेस्ट उड़ान एशिया रीजन की अधिकृत कम्पनी मे0 एयरोनाटिकल रेडियों आफ थाईलैण्ड लिमिटेड (एयरोथाई) (मेसर्स मार) से कराये जाने के निमित्त होने वाले व्यय यू0एस0 डॉलर2600.00 जो भारतीय मुद्रा में रू0 73/- प्रति यू0एस0डालर की विनियम दर से रू0 1,89,800/-(रूपया एक लाख नवासी हजार आठ सौ मात्र) के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि को एशिया रीजन की अधिकृत कम्पनी मे0 एयरोनाटिकल रेडियों आफ थाईलैण्ड लिमिटेड (एयरोथाई) (मेसर्स मार) को वायर ट्रांसफर के द्वारा अग्रिम भुगतान करने की अनुमति भी प्रदान करते हैं।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को तत्कालीन विनिमय दर से करने के पश्चात् अधिशेष धनराशि मार्जिन मनी एकाउण्ट में जमा की जाएगी। आहरण/समायोजन में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/ क्षति होती है, तो उसके लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: ए-1-235/दस-2011-15/1(1)/69 दिनांक 10 जून, 2011 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

पृ0सं0 : 72/2019/1501(1)/छप्पन-2019-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।। आडिट भवन, टी0सी0-ई0वी-।, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ-।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।